Chhattisgarh
TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

खड़िया जनजाति

में प्रथागत कानून का मोनोग्राफ अध्ययन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

Chhattisgarh
TRTI
TRIBAL RESEARCH AND
TRAINING INSTITUTE

खड़िया जनजाति

में प्रथागत कानून का मोनोग्राफ अध्ययन

निर्देशन :

शम्मी आबिदी (आई.ए.एस)

क्षेत्रकार्य एवं प्रतिवेदन:

श्रीमती उषा लकड़ा

सहयोग:

रूपेश्वर सिंह

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

अनुक्रमणिका

1. प्रस्तावना
   - 1.1 सामान्य परिचय एवं उत्पत्ति का इतिहास
   - 1.2 खड़िया जनजाति निवासरत क्षेत्र एवं जनसंख्या
   - 1.3 अध्ययन का उद्देश्य
   - 1.4 अध्ययन की प्रविधि
2. खड़िया जनजाति में संगठन का स्वरूप
3. खड़िया जनजाति में महिलाओं की स्थिति
4. खड़िया जनजाति के प्रथाएँ (संस्कार)/प्रथागत कानून /रूढिवादी व्यवस्था
   - 4.1 खड़िया जनजाति में प्रथाएँ (संस्कार)
   - 4.2 खड़िया जनजाति में प्रथागत कानून
   - 4.3 खड़िया जनजाति में रूढिवादी व्यवस्था
   - 4.4 निर्धारित जुर्माना/दण्ड एवं निषेध
   - 4.5 प्रथागत कानून में परिवर्तन
5. वाद इतिहास
6. सामाजिक स्तर पर जाति पंचायत के पदाधिकारी एवं लिखित कानून (नियमावली)

(1) प्रस्तावना :–

01 नवम्बर 2000 को गठित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के तहत् जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में 42 जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में **अनुक्रमांक 22 पर खड़िया जनजाति** शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य के झारखंड एवं उड़ीसा के सीमावर्ती जिलों में खड़िया जनजाति निवासरत् है, इस जनजाति को खड़िया कहा जाता है। भारत की जनसंख्या का कुछ भाग शहरीय एवं ग्रामीण सभ्यता से दूर घने जंगलों, पहाड़ियो, घाटियों, तराइयों, तटीय क्षेत्रों में निवासरत है, इनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति अन्य समाजों की तुलना में पिछड़ी हुई है। जनसामान्य इन्हें आदिवासी, वनवासी, जनजाति, आदिमजाति आदि नामो से जानते है। स्वतंत्रता के पश्चात् इन्हे समाज की मुख्य धारा के समकक्ष लाने के लिए भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति का नाम देकर अनुच्छेद 342 के तहत भारत सरकार द्वारा अलग–अलग राज्यों के अनुसूचित जनजाति समूह की सूची जारी की गई है, इनके सामाजिक–आर्थिक शैक्षणिक विकास तथा इनके हितो के संरक्षण हेतु भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किये गये है।

(1.1) सामान्य परिचय एवं उत्पत्ति का इतिहास :–

भारत के अनेक आदिम जातियों में से खड़िया जाति भी एक आदिम जाति है। खड़िया को आदिम संस्कृति का स्तम्भ माना जाता है। खड़िया जाति की अपनी भाषा (बोली) अपनी संस्कृति अपनी निवास क्षेत्र है। खड़िया शब्द को देवनागरी लिपि में खड़िया और रोमन लिपि में भी खड़िया ही लिखा जाता है।

खड़िया के तीन वर्ग है :– (1) दूध खड़िया (2) डेलकी खड़िया (3) पहाड़ी खड़िया। ये तीनों वर्गो में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर इनमें समानता पाई जाती है। इनमें दूध खड़िया सर्वाधिक उन्नत है। डेलकी खड़िया को गैर खड़िया लोग ढेलकी खड़िया भी कहते है। डेलकी खड़िया दूध खड़िया के अपेक्षा कम उन्नत है और पहाड़ी खड़िया सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है।

खड़िया जनजाति की उत्पत्ति संबंधी ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है इस समाज में प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार इनके पूर्वज बिहार (वर्तमान में झारखण्ड) के छोटा

नागपुर क्षेत्र से आगे बढते हुए उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिले में निवासित हुये, इनकी मान्यता है कि खड़िया जाति के पूर्वज एवं मुण्डा जाति के पूर्वजों का आपस में भाई का संबंध था।

किवंदती के अनुसार दो नागवंशी भाई थे दोनों यात्रा पर निकले, यात्रा करते हुए वे छोटा नागपुर पहुचे मुण्डा जाति के लोगो ने छोटे भाई को अपना राजा चुना छोटे भाई ने बडे भाई को अपना हिस्सा देने के लिए उसके सामने एक टोकरी में चांदी तथा दूसरी टोकरी में मिट्टी भरकर उसे पत्तल में ढंककर दोनो टोकरी मे से एक चुनने को कहा, बडे भाई ने मिट्टी की टोकरी उठा लिया तत्पश्चात अपना भाग्य समझकर (मानकर) मिट्टी खोदने तथा कृषि कार्य एवं बहंगी ढोने का कार्य अपनाया इन्हीं के वंशज खड़िया कहलाये। नागवंशी मुण्डा रानियों में खडिया लोगों के सामने पर्दा करने का रिवाज है।

खड़िया जनजाति का पृथक ग्राम नहीं है, सामान्यतः वे अपने निवास क्षेत्र या ग्राम में निवासरत् अन्य जनजातियों गोंड, कंवर, उरांव आदि के साथ रहते है, कुछ बडे ग्रामों में इस समुदाय के घर पृथक पारे–टोले के रूप में पाये गये।

डेलकी खड़िया, दूध खड़िया और पहाड़ी खड़िया के अलग–अलग गोत्र है। डेलकी और दूध खड़िया के गोत्र प्रायः समानता पाया गया। तीनों प्रकार के खड़ियाओं के अलग–अलग गोत्र है। डेलकी खड़िया के गोत्र दस, दूध खड़िया के गोत्र नौ और पहाड़ी खड़िया के गोत्र छः पाये जाते है।

(1) <u>डेलकी खड़िया गोत्र</u> –

(1) मुडु (कछुआ), (2) सुरेन–सेरेन–तोरेन/तोरेड या सोरेड (पत्थर), (3) समड्–समाद (केरकेट्टा/हिरण) (4) बागे–टेटे (बटेर), (5) बारलिहा–बाआः (फल–धाम) (6) चरहड़ या चरहा (चिड़िया) क्षेत्रीय (7) हंसड़ाड या डुंगडुंग या आइन्द (इल मछली) (8) मैल–विलुंग (धूल–गंदगी) (9) किडोड–बाघ, (10) तोपनो–टोप्पो (चिड़िया)।

(2) <u>दूध खड़िया गोत्र</u> –

दूध खड़िया के नौ गोत्र है – (1) डुंगडुग–इन्दवार (लम्ब मछली) (2) कुल्लू (कछुआ), (3) सोरेंग (पत्थर) (4) बिलुड–नमक, (5) बाआ–बरला–धनवार (धान), (6) केरकेट्टा–(चिंड़िया) (7) टेटेटोहोएज (टेटे चिड़िया), (8) टोओपो (चिड़िया) (9) किड़ो (बाघ)।

(3) एरेंगा खड़िया (पहाड़ी खड़िया) गोत्र –

एरेंगा खड़िया के छः गोत्र है – (1) साल (एक प्रकार की मछली), (2) अशोक (पेड़), (3) सारू (कन्द), (4) बाल्या (मछली), (5) सालुक (चिड़िया), (6) नाग (सांप)।

(1.2) खड़िया जनजाति निवासरत क्षेत्र एवं जनसंख्या :–

भारत की अनेंक जनजातियों में खड़िया एक बड़ी जाति, बड़ा समुदाय है। भारत के मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में खड़िया जाति के लोग प्रमुख रूप से पाये जाते है। कतिपय खड़िया लोग आसाम, अण्डमान, त्रिपुरा, महाराष्ट्र राज्यों में पाये जाते है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2011 के अनुसार खड़िया जनजाति की कुल जनसंख्या 49032 है, जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 23975 एवं महिलाओं की जनसंख्या 25057 है। इसी क्रम में कुल शिक्षित व्यक्तियों की जनसंख्या 23547 (48.02 प्रतिशत) जिसमें शिक्षित पुरूषों की जनसंख्या 13604 (56.74 प्रतिशत) एवं शिक्षित महिलाओं की जनसंख्या 9943 (39.68 प्रतिशत) है।

(1.3) अध्ययन का उद्देश्य –

1. खड़िया जनजाति में प्रथागत कानून का अध्ययन करना।
2. खड़िया जनजाति में पूर्व व वर्तमान के प्रथागत कानून में परिवर्तन का अध्ययन करना।
3. खड़िया जनजाति में जाति पंचायत व्यवस्था का अध्ययन करना।
4. खड़िया जनजाति के प्रथागत कानूनों में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना।

(1.4) अध्ययन की प्रविधि :–

खड़िया जनजाति में प्रथागत कानून अध्ययन हेतु ग्राम–फरसाबहार जिला जशपुर (छ.ग.) एवं ग्राम–जलगढ़ वि.ख. बरमकेला, ग्राम–मिनगा, वि.ख. खरसिया, ग्राम–लिंजीर, वि.ख. पुसौर, ग्राम–भोजपल्ली, वि.ख.रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में साक्षात्कार एवं अवलोकन के माध्यम से प्रथम तथ्यों का संकलन कर प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

द्वितीय तथ्यों का संलकन प्रकाशित पुस्तकों, जनगणना प्रतिवेदन व शासकीय प्रतिवेदनों का उपयोग किया गया, तत्पश्चात् तथ्यों का विश्लेषण कर प्रतिवेदन लेखन का कार्य किया गया।

(2) खड़िया जनजाति में संगठन का स्वरूप :–

खड़िया जनजाति में राजनैतिक संगठन का स्वरूप निम्न होता है।

जाति पंचायत :–

(2.1) ग्राम स्तरीय जाति पंचायत

(2.2) केन्द्र स्तरीय जाति पंचायत

(2.3) जिला स्तरीय खड़िया महासभा

(2.1) ग्राम स्तरीय जाति पंचायत :–

प्रत्येक खड़िया ग्राम में पृथक–पृथक जाति पंचायत होती है, जिसमें खड़िया जाति के ही व्यक्ति सदस्य होते है, जिनका प्रमुख 'मुखिया' कहलाता है, तथा दो से तीन वृद्ध व्यक्ति पंच का कार्य करते है। यहां जातीय स्तर के मुद्दे सर्व सम्मति से न्यायपूर्ण तरीके से हल किये जाते है, जो बैठक आयोजन की सूचना लोगों तक या लोगों की समस्याएं जाति प्रमुख तक पहुॅचाता है।

प्रायः मुखिया का चयन परम्परागत होता है, किन्तु यह ध्यान रखा जाता है कि वह जातिगत नियमों का जानकार व समझदार हो साथ ही निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। यही मापदण्ड सदस्यों या पंच के लिये भी होता है। इस जाति पंचायत में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है।

ग्राम स्तरीय जाति पंचायत के कार्य :–

जाति पंचायत के कार्य निम्नलिखित होते है :–

1. सामाजिक नियमों के तहत् जातिगत बंधुओं के बीच परस्पर सहयोग एवं संगठन को मजबूत करना।
2. स्वजातीय या ग्राम देवी–देवताओं के पूजा की तिथि एवं दिन निर्धारित करना।
3. समाज में प्रचलित मान्यताओं, रीति–रिवाजों को जातिगत सदस्यों द्वारा लागू करना व नियमित करना।
4. स्वजातीय हितों की रक्षा करना।
5. आपसी लड़ाई–झगड़ों का सर्व सम्मति से निपटारा करना।
6. सगोत्रीय विवाह पर प्रतिबंध लगाना।
7. विजातीय प्रेम–प्रसंगों से उपजी समस्याओं का निराकरण करना।
8. केन्द्र स्तर एवं जिला स्तर की जाति पंचायत या महासभा के निर्देशो पर दृष्टि रखना एवं उसमे सामंजस्य स्थापित करना।

(2.2) केन्द्र स्तरीय या क्षेत्रीय जाति पंचायत :–

15–20 ग्रामों के खड़िया परिवार को मिलाकर एक केन्द्र स्तरीय या क्षेत्रीय जाति पंचायत का गठन किया जाता है, जिसका मुखिया 'प्रमुख' कहलाता है, तथा प्रत्येक ग्रामों के 'मुखिया' केन्द्रीय पंचायत के क्रियाशील सदस्य होते है, जिसमें केन्द्र के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का निराकरण सर्वसम्मति से पंच–प्रमुख द्वारा लिया जाता है। इसमें भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता है।

ग्राम स्तर की जाति पंचायत के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष मुद्दे केन्द्र स्तरीय जाति पंचायत में ले जा सकता है।

केन्द्र स्तरीय पंचायत विशेष अवसरों पर अत्यधिक आवश्यकता महसूस होने पर ही आवश्यक बैठक आयोजित करती है, जिसमें सभी छोटे बड़े मामले शामिल किये जाते है। साधारणतः प्रयास किया जाता है कि मामले ग्राम स्तर पर ही निपटा लिये जाये व दोनों पक्ष को संतुष्ट कराया जाय।

समस्त खड़िया ग्रामों के मुखिया के अलावा इस स्तर की पंचायत में एक 'चपरासी' का भी पद होता है जो बैठक आदि की सूचनाएं सदस्यों तक पहुंचाता है।

केन्द्र स्तरीय या क्षेत्रीय जाति पंचायत के कार्य :–

इसके कार्य निम्नलिखित है :–

1. अंर्तजातीय जातिगत मामलों आदि का संज्ञान लेकर निपटारा करना।
2. विवाह संबंधी निषेधों का पालन कराना।
3. विवाह संबंध या विच्छेद का मामला निपटारा।
4. जातिगत उत्थान के कार्य करना।
5. देवी–देवता की वार्षिक–कर्मकाण्ड की व्यवस्था करना।
6. ग्राम स्तरीय जाति पंचायतों के अनसुलझे मामलो का निराकरण करना।
7. वार्षिक अनुष्ठान एवं जातिगत बैठकों में आने वाले बंधुओं के भोजन–पानी पर होने वाले व्यय की व्यवस्था या सहयोग राशि एकत्रित करवाना।
8. बारात उससे संबंधित नियमों को सरल बनाना।
9. महासभा के निर्णय का पालन करवाना व उसमे समन्वय बनाए रखना।

(2.3) जिला स्तरीय खड़िया महासभा :–

समस्त केन्द्रों की क्षेत्रीय पंचायतों को मिलाकर महासभा का आयोजन किया जाता है इसकी बैठक वर्ष में एक बार प्रायः की जाती है, किंतु विशेष परिस्थिति में एक से अधिक बार आयोजित किया जा सकता है। आर्थिक स्थिति को भी देखते हुये मामले निचले स्तर पर निपटारे हेतु कहा जाता है। महासभा प्रमुख को 'अध्यक्ष' कहा जाता है। जिसका चुनाव सभी केन्द्राध्यक्ष व ग्राम स्तरीय प्रमुखों की सम्मति से किया जाता है। अध्यक्ष से अपेक्षा होती है, कि वह नियमों का ज्ञाता हो, निर्णय क्षमता हो, ईमानदार हो तथा वह लोगों से पारस्परिक संबंध बनाए रखे।

अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, चपरासी व सदस्य होते है, जिनका कार्यकाल 5 वर्षो का होता है, महासभा का पद परम्परागत नहीं होता है।

महासभा के कार्य :–

1. ग्राम व केन्द्र स्तरीय अनसुलझे मामले सुलझाना।
2. जातिगत नियमों, रीति–रिवाजों को कठोरता से केन्द्र व ग्राम स्तर पर लागू करवाना।
3. जातिगत उत्थान व उसके हितों की रक्षा का कार्य करना।
4. अन्तर्जातीय विवाह संबंधी मामलों का निपटारा करना।
5. कुछ सामाजिक नियमों, निषेधों को अप्रासंगिक घोषित कर उसमें कुछ आमूल–चूल परिवर्तन करना।
6. सामाजिक नियमों, निषेधों, मान्यताओं में एकरूपता लाने प्रयास करना।
7. जातिगत सदस्यों में सहयोग की भावना जागृत करना साथ ही अन्य जातियों से परस्पर सहयोग बनाये रखने निर्देशित करना आदि।

उपरोक्त सभी प्रकार की जाति पंचायतों में गठित किये गये पद अवैतनिक होते है, किंतु कुछ जमा किये गये कोष के माध्यम से सामाजिक चपरासी को सूचना आदान–प्रदान करने सहयोग राशि प्रदाय की जाती है।

दूध खड़िया ग्राम की जाति पंचायत :–

खड़िया जनजाति की एक अन्य उपजाति 'दूध खड़िया' की अपनी आंतरिक जाति पंचायत है, जिसे खड़िया बोली में 'खड़िया डोकलों' कहा जाता है, जिसका प्रमुख 'राजा' या 'सोहोर' कहलाता है। इस ''डोकलो'' में दुध खड़िया में पाये जाने वाले 9 गोत्रों में से एक–एक व्यक्ति सदस्य या पंच होता है तथा गोत्रों में से एक व्यक्ति ''चपरासी'' का कार्य करता है। खड़िया–डोकलो का कार्य उपरोक्त वर्णित जाति पंचायतों के कार्यनुरूप ही होता है।

(3) खड़िया जनजाति में महिलाओं की स्थिति :–

खड़िया समाज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति को निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है :–

1. वंश निर्धारण :–

खड़िया समाज में जन्म लिये संतान का वंश निर्धारण उसके पिता पक्ष से होता है, अर्थात खड़िया समाज भी एक पितृवंशीय समाज व्यवस्था वाला समुदाय है।

2. सत्ता निर्धारण में महिला की भागीदारी :–

खड़िया समाज में परिवार की सत्ता व नियंत्रण पुरूष मुखिया के पास होता है, जिसमें परिवार से संबंधित अहम निर्णय पुरूष मुखिया द्वारा ही लिये जाते है, हालाकि परिवार की एक महत्वपूर्ण धूरी होने के नाते महिला सदस्य की सहमति अवश्य ली जाती है। अतः खड़िया समाज एक पितृसत्तामक व्यवस्था का ही भाग है।

3. आर्थिक कार्यो में महिलाओं पर भागीदारी :–

आर्थिक कार्यो से स्वअर्जित धन को स्वयं इच्छा से भी वह व्यय करने में उसे स्वतंत्रता प्राप्त नही है, उसे वस्तु खरीदने के पूर्व या पश्चात परिवार के मुखिया को इसकी सूचना देनी होती है। स्वयं के श्रम से प्राप्त मजदूरी आदि को भी वह अपने परिवार के मुखिया को देती है। इसके अलावा ग्राम में मजदूरी कार्य हेतु पुरूषों को जहां 100–150 रूपये की मजदूरी प्रदान की जाती है, वही अत्यधिक श्रम करने के पश्चात् भी पुरूषों की तुलना में उसे 80–100 रूपये ही मजदूरी के रूप में प्राप्त होता है।

इसी प्रकार खड़िया जनजाति की महिलाओं को हल चलाना, पशु चराना, छप्पर छाना, शिकार करना आदि पर प्रतिबंध है।

4. शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति :–

खड़िया समुदाय कन्या शिक्षा की तुलना में बालक शिक्षा को अधिक महत्व देते है। घर के काम काज, छोटे भाई–बहनों की देखभाल एवं विवाह लायक हो जाने पर उसका ब्याह आदि करने के कारण उनकी उच्च शिक्षा नही हो पाती है। वहीं ग्राम में उपलब्ध प्राथमिक स्तर की शाला में शिक्षा हेतु भेजा जाता है, अन्य ग्राम में जाकर शिक्षा प्राप्त करने वाली खड़िया बालिकाओं की संख्या कम है।

5. कन्या शिशु के प्रति व्यवहार :–

खड़िया समुदाय अपने वंश के समाप्त होने के डर से कम से कम एक पुत्र की कामना अवश्य रखता है, उनका मानना है कि वृद्धावस्था में पुत्र ही अपने माता–पिता को भोजन पानी देता है तथा पुत्र के ही हाथों उसकी मुक्ति होगी, यदि पुत्री ही पुत्री जन्म लेती है तो उसे घरजॅवई मजबूरी से रखना पड़ता है। परिवार में पुत्र पैदा न होने पर वे पुत्र की लालसा मे दूसरा विवाह भी करते है।

6. सामाजिक/धार्मिक कर्मकांडों में महिलाओं की स्थिति :–

खड़िया जनजाति अनुष्ठान व पारिवारिक स्तर पर पूर्वज, आदि की पूजा में महिलाओं की भागीदारी/सहभागिता नहीं के बराबर पायी जाती है। परिवार के धार्मिक अनुष्ठानों में कर्मकाण्डीय तैयारियॉ घर की महिला सदस्य कर सकती है, किंतु धार्मिक कर्मकाण्ड पुरूष वर्ग के द्वारा ही किया जाता है।

7. जाति पंचायत में महिलाओं की स्थिति :–

खड़िया जनजाति की जातीय पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है, उसे इन क्षेत्र में प्राथमिकता नहीं दी जाती है, प्रारंभ में जाति पंचायत की बैठक के समय वह उस स्थान पर भी नही जा सकती थी, किंतु वर्तमान में वह पंचायत की गतिविधियॉ देखने, सुनने दूर स्थान पर बैठती है।

8. जाति पंचायतों के पदाधिकारी में महिलाओं की स्थिति :–

वर्तमान स्वरूप में आधुनिकता के परिणाम स्वरूप व संगठन की दृष्टि से खड़िया जनजाति में महिलाओं की सामाजिक मंडल में जिम्मेदारी तय की जा रही है। वर्तमान में जाति पंचायत लिखित कानून में 15 में से 2 महिला सदस्य है।

9. जन्म/मृत्यु संस्कार में महिलाओं की स्थिति :–

खड़िया जनजाति में जन्म संस्कार (छट्ठी) होने तक प्रसूता को अशुद्ध/अपवित्र माना जाता है। अतः उनका रसोई, भोजन बनाना, पीने का पानी भरना, अनाज कोठी मे प्रवेश करना वर्जित है।

खड़िया जनजाति में मृत्यु होने पर शमशान घाट जाना महिलाओं के लिए वर्जित है वहां केवल पुरूष वर्ग ही जाते है, परन्तु महिलाएं नहावन हेतु समीप के तालाब जाती है।

(4) खड़िया जनजाति के प्रथाएँ (संस्कार)/प्रथागत कानून/रूढ़िवादी व्यवस्था :–

4.1 खड़िया जनजाति में प्रथाएँ (संस्कार) :–

(1) जन्म संस्कार :–

खड़िया समाज में प्रथम संस्कार जन्म–संस्कार है। इस संस्कार के अन्तर्गत ग्रामीण दाई/क्षेत्रीय नर्स अथवा चिकित्सक की देख–रेख में नव जात शिशु का जन्म अथवा डेलीवरी कार्य सम्पन्न करवाया जाना है। नवजात शिशु के जन्म के बाद छः दिनों में छट्ठी तथा मुंडन एवं बारह दिनों में बरही मनाई जाती है। इसके पहले तक इसे छूत माना जाता है। छट्ठी में तुलसी पत्ते, नारियल पानी, घी, दूध का पंचामृत बनाकर नवजात शिशु को चटाना होता है। नवजात शिशु का पद–प्रक्षालन गोरस या हल्दी–जल से किया जाना है। इसी दिन नवजात शिशु का नामकरण संस्कार भी सम्पन्न किया जा सकता है। छट्ठी या बरही के अवसर पर हंड़िया या दारू का सेवन करना वर्जित है। उस दिन सादा खान–पान की व्यवस्था की जाती है। नवजात शिशु का जन्म तिथि एवं नाम संबंधित कार्यालय अथवा ग्रामीण कोटवार के पंजी में पंजीकृत करवाना होता है एवं पंचायत पंजी में अंकित कराया जाता है। साखी (साक्षी) देव और धरम देव के नाम से तील चांवल हल्दी पानी में डालकर पितर मिलान किया जाना है।

(2) <u>कर्ण–छेदन संस्कार</u> :–

बच्चा/बच्ची की उम्र जब 5–6 वर्ष हो जाता है, तब उनका कर्ण छेदन करने की प्रथा है। इस संस्कार को खड़िया बोली में लुतुर–बेधान कहा जाता है। यह संस्कार समाज–बन्धुओं के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इसमें सिर्फ कम से कम दो बन्धुओं का होना पर्याप्त है। इस अवसर पर खान–पान सादा शाकाहारी होता है।

कर्ण–छेदन का गैर सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा भी सम्पन्न करवाया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का सामाजिक बंधन नहीं रहता है।

(3) <u>बौद्धिक संस्कार :–</u>

बौद्धिक–संस्कार में बालक/बालिका का बुद्धि विकास करना और सुसंस्कारित बनाना होता है। बालक/बालिका स्कूल जाने योग्य हो जाएं तब उसे स्कूल में नाम दाखिल करवाना और अपनी देख–रेख में उसे पढ़वाना होता है। पढ़ना, जीवन का एक आवश्यक और अनिवार्य कार्य है। शिक्षा व्यक्ति का भौतिक एवं अध्यात्मिक विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करती है। शिक्षा के बिना व्यक्ति एवं समाज का विकास संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक योग्य बच्चे/बच्चियों को पढ़ाना–लिखाना माता–पिता/अभिभावकों का परम कर्तव्य है।

(4) <u>फलदान संस्कार :–</u>

वर पक्ष और कन्या पक्ष की ओर से बातचीत पक्का हो जाने के बाद फलदान संस्कार सम्पन्न किया जाता है। फलदान संस्कार में वर पक्ष के बन्धु कन्या पक्ष के घर आकर

यह संस्कार सम्पन्न करते है। इसमें वर और कन्या दोनों पक्षों से नारियल, धूप, गुड, घी, अगरबत्ती एवं प्रसाद सामाग्री वगैरह लाया जाता है। कन्या के लिये पोषाक, जेवर, चुड़ी आदि यथा शक्ति देय होता है। यह संस्कार ब्राम्हण अथवा पांच बन्धुओं के द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। इस अवसर पर ब्राम्हण अथवा पांच बन्धुओं द्वारा पूजा–पाठ किया जाता है। ईश्वर को साक्षी मानकर वर और कन्या के नाम से नारियल चढ़ौती करते है। पूजा सम्पन्नोपरान्त प्रसाद (लाई–मुर्रा, चिवड़ा, पुड़ी, मिठाई, फल आदि) वितरण करते है। इस अवसर पर हंड़िया या दारू आदि नशीली पदार्थो का सेवन या उपयोग करना निषेध रहता है। फलदान संस्कार में वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को चाय, शक्कर, 12 किलोग्राम चांवल, 1 किलोग्राम दाल और सब्जियां आदि देना होता है। इसी से उनका खान–पान की व्यवस्था की जाती है। इस अवसर पर खान–पान की व्यवस्था सादा/शाकाहारी होता है।

फलदान में वर पक्ष की ओर से कम से कम पांच बन्धु और अधिक से अधिक सात बन्धु जा सकते है, एक जोड़ी महिला भी जा सकती है। लेकिन कुल संख्या सात से अधिक नही होना चाहिए।

(5) वरदेखी–संस्कार :–

वर देखी में अधिक से अधिक 10 बन्धु ही जायेंगे। यदि 10 बन्धु से अधिक ले जाता है तो 09 से अधिक की संख्या पर प्रति बन्धु (व्यक्ति) रूपयें 200 की दर से कन्या पक्ष को सामाजिक दण्ड स्वरूप राशि समाज फण्ड में जमा करना होगा। इस अवसर पर एक जोड़ी महिला भी जा सकती है, लेकिन कुल संख्या 10 से अधिक नहीं होना चाहिए।

इस अवसर पर हंड़िया/दारू आदि मादक वस्तुओं को सेवन करना वर्जित है। वर देखी में आये बन्धुओं को टोला, पारा के दूसरे घरों में ले जाकर हंड़िया दारू पिलाने का प्रथा/रिवाज को समाप्त किया जाता है। इस अवसर पर खान–पान का कोई विशेष नियम नहीं है। लड़के वाले यथा शक्ति खिला–पिला कर अपने बन्दुओं को सन्तुष्ट कर सकते है। इस अवसर पर संख्या संबंधी मामले को छोड़कर वर देखी संस्कार से संबंधित नियमों का यदि कोई पक्ष उल्लंघन करता है तो दोषी पक्ष से रूपये 500 सामाजिक दण्ड स्वरूप लिया जाता है और यह राशि समाजिक कोष में जमा किया जाता है। इस अवसर पर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा यह ध्यान दिया जाता है कि यह कार्य उचित रूप से सम्पन्न किया जा रहा है अथवा नही।

(6) विवाह संस्कार :–

खड़िया जनजाति के जीवन चक्र का दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार विवाह है, जहां से नवविवाहिता युगल स्वयं पारिवारिक क्रियाकलापों को प्रारंभ करते है। इस संस्कार को खड़िया बोली में बिहा–बायना कहा जाता है। खड़िया जनजाति गोत्र बर्हिविवाही समुदाय है, अर्थात ये अपने गोत्र के बाहर अन्य गोत्र में विवाह संबंध करते है, समगोत्रीय विवाह इनमें निषेध है। एक ही गोत्र के समस्त सदस्य आपस में एक पूर्वजों की संतान अर्थात् भाई–बहन मानी जाती है। खड़िया जनजाति अपनी–अपनी उपजातियों के 9 गोत्रों में से किसी एक गोत्र के सदस्य का विवाह शेष आठ गोत्र समूहों में से किसी के साथ कर सकते है। इनमें विवाह प्रायः फागून से बैशाख तक की अवधि में सम्पन्न करा लिये जाते है।

(3) मृत्यु संस्कार :–

खड़िया जनजाति में मृत शरीर को दफनाने की प्रथा प्रचलित है। इनमें सूर्यास्त के समय शव नहीं दफनाया जाता है, सभी सगे–संबंधियो की उपस्थिति में दिन के समय शवाधान किया जाता है। दफनाने हेतु 5–6 फीट लंबा व 2–3 फीट चौड़ा गहरा गड्ढ़ा खोदा जाता है, शव ले जाने के पूर्व उसे तेल लगाया जाता है, नया कपड़ा ओढ़ा कर बांस चैली बनाई जाती है, जिस पर ''पुआल'' (पैरा) बिछा दिया जाता है, शव रखने के पूर्व पुआल के ऊपर मृत व्यक्ति की चादर, धोती या कंबल को बिछा दिया जाता है, तत्पश्चात् शव को रखकर सफेद

वस्त्र ओढ़ा कर रस्सी द्वारा बांधा जाता है, तत्पश्चात् मृतक के पुत्र व अन्य सगे–संबंधी कांधा देकर शमशान घाट ले जाते है। शव को गड्ढे में उत्तर दिशा के सिर व दक्षिण दिशा में पैर के आधार पर रखा जाता है, शव के समीप कपड़े, पैसा व खाने–पीने की वस्तुएँ रखी जाती है। मृतक को सर्वप्रथम उसके सगे–संबंधी मिट्टी देते है तत्पश्चात् उसी गोत्र के लोग व अन्य व्यक्ति मिट्टी देते है। मृत्यु के तीसरे दिन के संस्कार को ''तिहि'' कहा जाता है इस दिन घर की साफ–सफाई, लिपाई–पोताई शुद्धिकरण एवं भोजन निर्माण व पानी लाने का कार्य करते है। इसी दिन मृत व्यक्ति के सगे पुरूष बंधु द्वारा मुंडन कराया जाता है। इनमें मुंडन कार्य अन्य गोत्र के व्यक्ति ''मुडु'' द्वारा किया जाता है, इसके पश्चात् ''नहावन'' से लौटकर पहले पुरूष वर्ग भोजन व हड़िया ग्रहण करते है तत्पश्चात् महिलाएं भोजन व हड़िया ग्रहण करती है। इसी दिन मृत्यु को प्राप्त पुरूष की पत्नी की चूड़ियाँ अन्य महिलाओं द्वारा उतारी जाती है, तथा उसे सफेद साड़ी (छिड़ा) पहनने दी जाती है और हाथ में सिल्वर या अन्य धातु की चूड़ी पहनाई जाती है। दसवें दिन ''गमी'' या दशगात्र होता है, जिसमें सगे–संबंधियों के अलावा ग्राम के अन्य जातियों के परिचितों को मृत्यु भोज हेतु बुलाया जाता है। इनमें पुरूष–मृत्यु हेतु छुआ 10 दिन का माना जाता है, जबकि महिलाओं का छुआ 09 दिन का होता है।

(3) पूजा संस्कार :–

खड़िया समाज का अपना देवी–देवता है, जिनकी पूजा अर्चना वर्ष के अन्तराल में किया जाता है। उनके प्रत्येक देवी–देवता का अलग–अलग स्वभाव और काम है। वे अपने देवी–देवताओं को उनके काम और जगह के अनुसार पूजा एवं बलि दिया जाता है। अतः उनकी रूचि और पसंद के अनुसार अलग–अलग रंग का **मुर्गा/बकरा** बलि चढ़ाया जाता है। बड़ी (बडन्दा) पूजा बड़ा देवता खड़िया समाज का महादेवता है।

4.2 खड़िया जनजाति में प्रथागत कानून :–

कोई भी समाज के द्वारा अपने समाज के अंदर न्याय व्यवस्था बनाये रखने तथा नैतिकता के विरूद्ध अपराध रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर नियम कानून बनाये जाते है, जिसके तहत् आरोपी को जुर्माने या दण्ड से दण्डित किया जाता है। समाज के द्वारा निर्मित इस व्यवस्था को प्रथागत कानून कहा गया है। समुदाय के प्रथागत कानून इस प्रकार है :–

(1) घर देखी संबंधी :–

घर देखी के स्थान पर वर देखी भी कहा जाता है, इसमें अधिक से अधिक 5 बंधु ही जावेंगें। इसमें खान–पान का कोई विशेष नियम नहीं रखा गया है। लड़के वाले यथा शक्ति खिला पिलाकर अपने बंधुओं का सन्तोष कर सकते है।

(2) सगाई संबंधी :–

सगाई में गांव वाले बन्धुओं को एक शाम खाना सादा भोजन साग सब्जी यथाशक्ति खिला पिला कर लड़की के लिये चूड़ी–चंवरी रिवाज मुताबिक ले सकते है। इसमें कोई सुकदाम नहीं लिया जावेगा।

(3) सुकदाम संबंधी (वधू मूल्य) :–

सुकदाम के संबंध में पहले यह नियम था कि लड़की वाले को लड़की के संबंध में तीन रास बछड़े व दो रूपयें दिये जाते थे सभा में यह निर्णय किया गया कि तीन रास के बदले सब सुकदाम को 45 रूपयें, 3 खंड़ी चांवल, 5 सेर दाल, नमक, तेल, हल्दी साग सब्जी एक मायसारी, एक सारा धोती तक सीमित किया जावें। दुआवर में नयावर में जो लेन–देन रखा गया है उसी प्रकार रहेगा।

(4) विवाह संबंधी :–

विवाह के अवसर में हंडिया, शराब का बिलकुल निषेध है। हमारे डेलकी समाज में याने पूर्वजों के जमाने में बारात का यह नियम था कि लड़के वाले (वर) के लड़के पास पहुंचाते थे याने लड़के वाले बारात नही जाते थे। अब पूर्वजों के इस नियम को बंद कर बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अब लड़के वाले लड़की वाले के यहां बारात ले जाकर पुत्र वधु को विवाह कर बड़े सज धज के साथ लावेंगें। विवाह में ठेका पानी नही दिया जावेगा। बैठकर शादी की जावेगी।

(5) जात–खानी :–

यदि स्वाजाति का कोई लड़का या लड़की विजातीय के पास चली जाय या चला जाय तो जात खानी में गांव वाले बन्धुओं को एक साथ खाना लिखा पिला कर शुद्ध हो सकता है। 5/– रूपयें धर्मशाला महासभा में जमा करना पड़ेगा। इसमें गोमार मांझी पातक सभी आ सकते है। जात खानी में खाना के साथ मांसाहारी खाना होगा। हंडिया नहीं लेना चाहिये। यदि विजातीय कोई लड़का स्वजाति की लड़की को ले जाता है। तो ग्राम के समाज बन्धु बैठकर लड़के से पूछताछ कर लड़की को उसके सुपुर्द कर देंगें तथा उससे एक मुचलका लिखवा लिया जावेगा। बीच में छोड़–छाड़ करने पर उससे 300 रूपयें लिये जावेंगे।

(6) गमी काज :–

गमी में नारियल सुपारी घी, गुड़ का अग्नि हवन किया जावेगा। खान–पान में सादा भोज शाकाहारी होना चाहिये। हंडिया का (शराब) बिलकुल निषेध है।

(7) अन्य सुधार :–

डेलकी खड़िया समाज में अपने घर में रख कर दारू बेचना सख्त मना है। अगर कोई बेचे तो घर से बाहर बेचे। औरतें दारू नहीं बेच सकती है, और न ही दारू लाने के लिये भट्ठी को जा सकती है। अगर औरतें दारू लाने के लिए भट्ठी जाय या बेचे तो उन्हें 50/– पचास रूपया जुर्माना किया जावेगा। अगर 50/– रूपये समाज में जमा न करे तो उसे समाज से अलग कर दिया जावेगा।

4.3 खड़िया जनजाति में रूढिवादी व्यवस्था :–

(1) विवाह सुकदाम (वधू मूल्य) :–

विधिमान्य विवाह में सुकदाम के रूप में 4500 रूपयें तीन खण्डी चांवल, पांच किलोग्राम दाल, तेल, सब्जी, हल्दी नमक, एक मायसारी, एक साला धोती, आजी लेदरी आदि देय होगा अथवा सुकदाम में रूपयें 2000 एक मायसारी एक साला धोती, आजी लेदरी आदि देय होगा।

(2) द्वावर विवाह :–

द्वावर विवाह में यदि कोई द्वावर पुरूष किसी कुंवारी लड़की के साथ सामाजिक रीति–रीवाज से शादी करना चाहता है तो उसे मुख्य विवाह (विधिमान्य विवाह) के अनुरूप ही

सुकदाम देना होगा। परन्तु केवल सुकदाम राशि 45/– रूपयें के स्थान पर 100/– रूपयें देना होगा। यह निर्णय तय किया गया है।

(3) छोटकी विवाह :–

छोटकी विवाह में बड़की की सहमति होना आवश्यक है। यदि कन्य कुंवारी अविववाहित है तो विधिमान विवाह की भांति सारी सामाजिक रस्म निभाना होगा अर्थात विधिमान्य विवाह में जो लेन–देन होता है। वह सब लड़की पक्ष को देय होगा। सुकदाम की राशि 45/– रूपयें के स्थान पर 100/– रूपये देय होगा। हड़िया दारू आदि मादक पदार्थो का उपयोग करना निषेध रहेगा।

(4) घर जमाई विवाह :–

घरजियां विवाह घर जमाई विवाह की स्थिति में कन्या पक्ष को ही विवाह की सारी व्यवस्था एवं खर्च करना होगा। विधिमान्य विवाह के नियमानुसार ही इनका विवाह सम्पन्न किया जाना होगा।

(5) जात–खानी :–

जात–खानी के अन्तर्गत कई मामले आते है। जैसे – माच्छीपातक, गौमार, समाज का लड़का या पुरूष विजातीय लड़की या महिला को रख लेना समाज का कोई लड़की या महिला विजातीय लड़का या पुरूष के पास चली जाती है। गैर पनिहा जाति के व्यक्ति का मार खाना या छुआ खाना अपनी मां–पिता, चाची, बहोरिया को मारना, अपनी पत्नी का मार खाना आदि परिस्थितियों पर जात–खानी क्रिया–क्रम किया जाता है।

जात–खानी में पंचामृत बनाकर बन्धुओं द्वारा शुद्धिकरण किया जावेगा। जात–खानी मामले में संबंधित से 50 रूपये समाज कोष में जमा करना होगा। गौमार और माच्छीपातक को छोड़ कर शेष प्रकार के जात–खानी में मांसाहारी खान–पान का व्यवस्था जात–खानी के अवसर हड़िया दारू आदि मादक पदार्थो का उपयोग अथवा सेवन वर्जित रहेगा। गौमार और माच्छीपातक से संबंधित जात–खानी में सादा शाकाहारी खान–पान का व्यवस्था रहेगा।

(6) गमी–काज :–

मृत्यु संस्कार, अन्तयेष्ठि क्रिया–अन्त्येष्ठि क्रिया क्रम में नारियल, सुपाड़ी, धूप, अगरबत्ती का व्यवस्था करके अग्नि हवन किया जावेगा। खान–पान में सादा, शाकाहारी भोजन व्यवस्था करना वर्जित रहेगा। मृत्यु के तीन दिन बाद छूत उतारने एवं शुद्धि होने का प्रावधान या रिवाज है जिसे खड़िया बोली में तिन्जांग कहा जाता है तिन्जांग के समय भी हंड़िया दारू का उपयोग नही किया जाना है। इस दिन चाय नास्ता का व्यवस्था करना होगा।

प्रायः यह देखा गया है कि मृत–व्यक्ति के लाश को दफना कर और स्नान करके घर वापस आकर हड़िया दारू का व्यवस्था करके सेवन करते है। यह रिवाज अनुचित है। इस अवसर पर हड़िया दारू का सेवन वर्जित है।

4.4 निर्धारित जुर्माना/दण्ड एवं निषेध :–

(1) पुरूष द्वारा अन्य समाज की महिला से विवाह करने पर –

पुरूष द्वारा अन्य समाज की महिला से विवाह करने पर समाज या पदाधिकारियों एवं समाज के अन्य व्यक्तियों के सलाह के अनुसार दो तरह का प्रायश्चित कराते है, अगर लड़की अपने समाज से उच्च वर्ग की है तो उसे समाजिक नियमानुसार प्रायश्चित कराते है और कुछ समय तक समाजिक संस्कार से निषेध रखते है, उसका पूजा एवं रसोई कक्ष मे जाना निषेध रहता है, परन्तु उनसे पैदा बच्चों को समाज में मिला लिया जाता है किसी प्रकार का निषेध नही रहता है। किन्तु अगर लड़की अपने समाज से निम्न वर्ग की है तो उसे जीवन पर्यन्त समाज में नही मिलाया जाता है और उसे समाज से अलग कर दिया जाता है।

(2) महिला द्वारा अन्य समाज के पुरूष से विवाह करने पर –

यदि खड़िया महिला द्वारा अन्य समाज के पुरूष से विवाह कर लिया जाता है तो उस महिला को समाज से अलग कर दिया जाता है और उससे किसी भी प्रकार का संबंध नही रखा जाता है और उसके नाम पर मरती–जीती (व्यक्ति के मरने उपरांत जो कार्यक्रम किया जाता है।) खा लेते है।

(3) प्रेम विवाह –

प्रेम संबंध के अन्तर्गत कई प्रकार के आयाम व परिस्थितियां हो सकती है। स्थितियों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रेम संबंधी प्रकरणों को निपटारा किया जाना होगा। प्रेम संबंधी प्रकरणों में अधोलिखित परिस्थितियां हो सकती है।

- यदि किसी लड़का का स्वजातीय किसी लड़की के साथ प्रेम–संबंध हो जावे तो दोनो पक्षों के माता–पिता एवं बन्धुओं के सहमति से उनका शादी सामाजिक विवाह विधिनुसार कर दिया जावेगा। सामाजिक नियमों का उलंघन करने के कारण दोनों पक्षों से रूपयें 200/– रूपयें सामाजिक फण्ड में जमा करना होगा। सहमति में मतभेद होने पर बैठक आहुत कर निर्णय किया जावेगा और दोषी पक्ष को रूपयें 5000/– आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाना होगा। यह राशि सामाजिक फण्ड में जमा होगा। बैठक खर्च अलग से दोषी पक्ष से लेना होगा।
- यदि कोई विवाहित पुरूष किसी अन्य स्वजातीय विवाहिता महिला या लड़की को अपनी पत्नी के रूप में रखे या यदि कोई विवाहिता महिला किसी अन्य स्वजातीय पुरूष या लड़का के पास पत्नी के रूप में चली जावे तो इस प्रकार की परिस्थितियों में विशेष बैठक आयोजित कर सामाजिक नियमानुसार निर्णय किया जाना होगा और दोषी पक्ष को रूपयें 5000/– आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाना होगा। यह राशि समाज फण्ड में जमा होगा। बैठक खर्च एवं हर्जाना का देनदार दोषी पक्ष होगा।
- यदि कोई लड़की किसी स्वजातीय लड़का के पास ढुकू चली जाये या यदि कोई लड़का स्वजातीय किसी लड़की को पत्नी के रूप में रख ले तो दोनो पक्षों के माता–पिता अभिभावक एवं बन्धुओं का एक बैठक आयोजित किया जाना होगा। बैठक में लड़का–लड़की, माता–पिता एवं अभिभावकों से पूछ–ताछ किया जाना होगा। यदि किसी प्रकार का विरोध न हो तो विधिमान्य विवाह की भांति उनका विवाह कर देना होगा और यदि विवाद की स्थिति है तो तदानुसार निर्णय किया जाना होगा। दोषी पक्ष को रूपयें 5000 आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है। यह राशि समाज फण्ड में जमा होगा। दोषी पक्ष बैठक खर्च का देनदार होगा। शराब आदि मादक पदार्थो का सेवन कराना वर्जित रहेगा।

- यदि कोई लड़की किसी अनुसूचित जाति के लड़के के साथ विवाह कर लेती है तो उसे जीवन पर्यन्त समाज में नही मिलाया जाता है और उसे समाज से अलग कर दिया जाता है।

(4) समगोत्र संबंधी –

समगोत्र में विवाह सर्वथा वर्जित है। यदि समगोत्र में किसी लड़का–लड़की का या किसी पुरूष–महिला का या किसी लड़का–महिला का किसी लड़की–पुरूष का अवैध संबंध होना पाया जाता है तो उन दोनो को समाज से अलग कर दिया जावेगा। उनसे उत्पन्न बच्चों को अलग–अलग प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित में तुलसी, नारियल पानी, गुड़, घी, दूध आदि का पंचामृत बनाकर उन्हे शुद्ध किया जावेगा। प्रायश्चित के समय 500/– रूपयें समाज कोष में देय होगा। समाज बन्धुओं को एक समय शाकाहारी खाना देकर, वह बच्चे समाज में शामिल हो सकते है। इसी प्रकार उनके प्रत्येक बच्चों को प्रायश्चित करना होगा।

यदि उस समगोत्रीय युगल में से किसी एक का मृत्यु हो जावे या छोड़–छाड़ (अलग–अलग) हो जाये और वे समाज में शामिल होना चाहे तो समाज कोष में रूपयें 500/– जमाकर सामाजिक बन्धुओं को मांसाहारी या सादा खान–पान (बन्धुओं के मतानुसार) देकर समाज में शामिल हो सकते है। हड़िया शराब का सेवन या उपयोग करना वर्जित रहेगा।

(5) चोरी करने पर –

खड़िया समाज में चोरी करने पर समाज द्वारा हस्तक्षेप नही किया जाता है, यह शासन–प्रशासन का कार्य होता है कि वे संबंधित को दण्ड दें, यदि चोरी के मामले में दोनो पक्ष खड़िया जाति के हो तो उसे सामाजिक स्तर पर सुलझाया जाता है।

(6) जोर जबर्जस्ती प्रकरण –

यदि समाज का कोई लड़का समाज की किसी लड़की को उसकी सहमति के बिना या माता–पिता एवं समाज के बिना अनुमति के जबरन खींच–तान कर अपना पत्नी बनाना चाहता है, तो उसे सामाजिक नियमों का उलंघन करने का दोषी तहत 2000 रूपयें दण्ड भुगतान करना होगा यह राशि समाज कोष में जमा होगा। बैठक में मामले को गम्भीरता से लेते हुए उचित निर्णय किया जाना होगा। यदि कन्या और उसके माता–पिता राजी हो जाते है तो

उनकी शादी विधिमान शादी की भांति करवा दिया जायेगा और यदि कन्या उसकी माता–पिता राजी नहीं है तो उन्हे अलग–अलग रहने दिया जाना है।

यदि कोई लड़का या लड़की किसी लड़की या लड़का के शादी में रूकावट या बाधक उत्पन्न करना/करती है याने कि किसी लड़का या लड़की की शादी संबंधी सभी रस्म निभाई जा चुकी है, केवल शादी करना शेष है ऐसी स्थिति में कोई लड़का या लड़की बाधा उत्पन्न करता/करती है अर्थात लड़का, लड़की को रख ले या भगा अन्यत्र चला जावे या लड़की, लड़का के पास ढुकू चली जावे। ऐसी स्थिति में तीनो पक्षों के बन्धुओं का एक बैठक आयोजित करना होगा। सामाजिक नियमों का उलंघन करने एवं धोखा–धड़ी के इल्जाम में दोनो पक्षों से रूपयें 5000 आर्थिक दण्ड स्वरूप लिया जावेगा। यह राशि समाज कोष में जमा किया जाना होगा। जो बन्धु लड़की को शादी करके ले जाने के लिये शादी के पूर्व का सभी रस्म निभाया है, उसे उसके द्वारा किये गये सभी खर्च का हर्जाना लड़की पक्ष देगा।

एक स्थिति यह भी हो सकता है कि किसी लड़का और लड़की की शादी संबंधी सभी प्रकार की रस्म निभाई जा चुकी है, केवल शादी करना शेष है। ऐसी स्थिति में कोई पक्ष अर्थात लड़का या लड़की अथवा अभिभावकों द्वारा शादी न करने अथवा शादी नही देने की स्थिति उत्पन्न करते है। संबंध विच्छेद कर विवाह कार्य को रोकते है। ऐसी स्थिति में दोनो पक्षों के बन्धुओं का बैठक आयोजित कर उचित निर्णय किया जावेगा। दोषी पक्ष को 5000 रूपये आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जावेगा। यह राशि समाज कोष में जमा किया जाना है। निर्दोष पक्ष पूर्व में किये गये खर्च का हर्जाना लेने का हकदार होगा।

(7) वाद–विवाद की स्थिति –

वाद–विवाद की स्थिति में समाज का एक बैठक बुलाकर दोनो पक्षों से बयान लिया जाता है बयान के अनुसार समाज उस पर निर्णय लेता है, दोनो पक्षों से समाज के प्रमुखों के समझाने पर दोनो पक्ष सहमत हो जाते है। तब उन दोनो से इकरार नामा लेकर दोनो का समझौता करवा दिया जाता है।

(8) कनटुट्टी –

खड़िया समाज में कनटुट्टी को कर्णभेदन या कर्णछेदन भी कहा जाता है। जब लड़की की उम्र 5 या 6 वर्ष हो जाता है तब समाज के लोग पाहन या मुखिया जिसकी संख्या 4

या 5 होती है इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम को सम्पन्न करते है। खड़िया बोली में 'लुतुरबेधा' कहा जाता है। समाज के सगा बंधुओं को सामाजिक भोज दिया जाता है किन्तु वर्तमान स्थिति में यह संस्कार समाप्ति की ओर है। समाज के लोग सोनार के दुकान में जाकर कर्णभेदन करा लेते है।

(9) फूलपरी –

खड़िया समाज में किसी व्यक्ति को चोट लगने या किसी कारण वश "घाव" बन जाता है या शरीर पर कीडा पड़ जाने पर मांस सड़ने या गलने लगता है उसे फूलपरी कहा जाता है। गांव के लोगो को पता चलने पर उसे गांव एवं समाज से बाहर कर दिया जाता है। संबंधित के रोग मुक्त होने पर समाज के मुखिया द्वारा उसे पंचामृत (तुलसी पत्ता, हल्दी, दूध, दही, घी) दिया जाता है एवं उसे सामाजिक भोज पश्चात् समाज में शामिल कर लिया जाता है

(10) विवाहिता महिला को भगाने पर (बूंदा) –

खड़िया समाज में किसी भी पुरूष द्वारा महिला को भगाकर ले जाने पर संबंधित व्यक्ति से समाज के प्रमुखों द्वारा बैठक बुलाकर, सामाजिक रीति रिवाज एवं सामाजिक नियमों के आधार पर बूंदा (दण्ड स्वरूप राशि) लिया जाता है।

(11) तलाक या वैवाहिक संबंध विच्छेद –

खड़िया समाज में (छाड़रा–छाड़री) यदि विवाह उपरान्त लड़का किसी कारण से लड़की याने कि अपनी पत्नी को छोड़ता है या परित्याग करता है तो ऐसी स्थिति में दोनो पक्षों के बन्धुओं का एक बैठक आयोजित कर दोनो पक्षों से पूछ–ताछ किया जाता है। दोनों पक्षों के बयान सुनकर उचित निर्णय लिया जाता है। लड़का तथा लड़की दोनो को समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनका संबंध विच्छेद न हो। यदि लड़की उसके पास रहना चाहती है और लड़का उसे (लड़की) रखना ही नही चाहता है, तो लड़का की ओर से 10000 रूपयें आर्थिक दण्ड के रूप में समाज को देना होता है। यह राशि समाज के फण्ड में जमा होगा। उस दिन का बैठक खर्च का देनदार भी लड़का पक्ष ही होता है।

इसके विपरित यदि विवाह उपरान्त लड़की किसी कारण से लड़का याने उसकी पति के पास पत्नी रूप रहना नही चाहती है या लड़का को छोड़ना या परित्याग करना चाहती है। ऐसी स्थिति में भी दोनो के बन्धुओं का एक बैठक आयोजित किया जाना होगा। दोनो का ब्यान सुनकर उचित निर्णय लिया जाता है। यदि लड़का उसे रखना चाहता है लेकिन लड़की

नही रहना चाहती है तो लड़की की ओर से 10000 रूपये आर्थिक दण्ड के रूप में समाज को देना होता है। यह राशि समाज के कोष में जमा होता है। उस दिन का बैठक खर्च का देनदार भी लड़की पक्ष का ही होता है। अन्त में दोनो लड़का और लड़की से छाड़ पत्र लिखवा लिया जाता है तथा संबंधितों एवं गवाहों का हस्ताक्षर लिया जाता है।

तीसरा यह भी हो सकता है कि यदि लड़का तथा लड़की दोनो ही एक दूसरे को परित्याग करना चाहते है तो दोनो पक्षों के बन्धुओं का बैठक आयोजित करके निर्णय किया जाता है। दोनो पक्षों से 500–500 रूपयें समाज कोष में जमा कराया जाता है। लड़का एवं लड़की दोनो से छाड़पत्र लिखवा लिया जाता है।

(12) भय–भसूर छुआछूत –

खड़िया समाज में जेठ द्वारा भाई बहु (भाई की पत्नी) को छू लेने से ही दोष लग जाता है, इस दोष को दूर करने के लिए पाहन या प्रधान द्वारा शुद्धि किया जाता है और भसूर (जेठ) द्वारा समाज को खाना–पीना कराया जाता है एवं उसे निर्धारित दण्ड रू. 200 या 500 जुर्माना भरना पड़ता है।

(13) मामा ससुर छुआछूत –

मामा ससुर छुआछूत भय–भसूर छुआछूत की तरह ही है, मामा ससुर द्वारा भांजा बहु को छू लेने से यह दोष लग जाता है। उक्त दोष में संबंधित द्वारा समाजिक भोज के साथ निर्धारित दण्ड रू. 200 या 500 देना होता है।

(14) गौमरी –

खड़िया समाज के किसी व्यक्ति द्वारा गाय या बैल की हत्या किसी कारणवश हो जाती है और जब इस बारे में गांव के लोगो को पता चलता है, तब बैठक बुलाकर उसे सलाह दी जाती है कि वह प्रायश्चित करने के लिए तीर्थस्थान जैसे–नरसिंहनाथ, जिला–संबलपुर (उड़ीसा) जाए, इस तीर्थस्थान को गो गंगा भी कहते है। जब वह व्यक्ति गो गंगा से नहा–धोकर आता है और समाज के पाहन द्वारा उसे पंचामृत (तुलसी पत्ता, हल्दी, दूध, दही, घी) दिया जाता है, तब उसे शुद्ध माना जाता है, शुद्धि पश्चात् संबंधित व्यक्ति द्वारा समाज के लोगों को यथाशक्ति सादा भोज करना होता है।

(15) समधी–समधन छूआछुत –

खड़िया समाज में अपने समधी–समधन द्वारा कोई छूआछुत नही माना जाता है, बल्कि समधन द्वारा समधी को दूर से प्रणाम करते है कही–कही पर चरण छूकर भी प्रणाम किया जाता है।

(16) डेलकी खड़िया नृत्य – डेलकी खड़िया नृत्य (झुमेर नाच गाना) को बंद कर दिया गया है।

(17) डोमरी बाजा बजानी –

शादी विवाह के अवसरों पर खड़िया समाज के व्यक्ति को डोमरी बाजा बजाना सर्वथा वर्जित है क्योंकि बाजा बजाने का कार्य अन्य (डोम) जाति के व्यक्ति करते है। यह कार्य उनका पुरातन है, यदि हमारे समाज के व्यक्ति बाजा बजाते है तो हमारी समाज की गणना भी उसी श्रेणी में होगी। इससे समाज की गरिमा को ठेस पहुंचती है।

यदि समाज का कोई व्यक्ति खड़िया समाज के व्यक्ति की शादी विवाह आदि अवसरों पर बाजा बजवाता है तो उससे सामाजिक नियमों का अवहेलना करने के कारण रूपयें 10000/– आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है, यह राशि सामाजिक फंड में जमा होगा।

(18) विजातीय का डोली ढोना निषेध –

यदि किसी व्यक्ति को डोली ढोते देखा जायेगा तो उस व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया जाता है तथा 50 रूपया जुर्माना देना होता है। 50 रूपया जुर्माना देने पर उसे समाज में शामिल कर लिया जाता है।

अधिकार एवं दण्ड –

ग्राम स्तर, केन्द्र स्तर, महासभा एवं दूध खड़िया की खड़िया डोकलों जाति पंचायत में आपसी लड़ाई झगड़े, निषेधों की अनुज्ञा, वैवाहिक नियमों में व्यवधान अर्न्तजातीय विवाह, आदि मसलों पर दोषी व्यक्ति को दण्ड का प्रावधान हैः इसमें दण्ड के प्रकार निम्न हैः–

(अ) आर्थिक दण्ड

(ब) समाज से बहिष्कृत करने का दंड

(स) अर्थ दण्ड एवं बहिष्कार दोनों एक साथ

(अ) आर्थिक दण्ड –

खड़िया जनजाति में जाति पंचायत द्वारा आधारित अर्थदण्ड दोषी व्यक्ति को सुनाये जाते है। इसमें अर्थदण्ड की राशि 51 रूपयें से लेकर 3000 रूपयें तक की होती है। ग्राम स्तर पर आपसी लड़ाई झगड़े, चोरी बैठक में सम्मिलित न होना आदि हेतु 50–100 रूपयें तक का अर्थदण्ड दिया जाता है। वही सामाजिक निषेधों के उल्लंघन पर यह राशि 3–4 गुना तक बढ़ा दी जाती है।

(ब) समाज से बहिष्कृत करने का दंड –

खड़िया जनजाति में समाज के निर्धारित मापदण्ड के विपरीत किसी भी मुद्दे पर दोषी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जिसमें उस परिवार का जाति के किसी भी सदस्य के घर पर भोजन–पानी, रोटी–बेटी का संबंध प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इस प्रकार का दण्ड सामाजिक अपराध जैसे अर्न्तजातीय विवाह करना, विवाह पूर्व गर्भधारण करना, भाग कर शादी करना, निम्न जाति की कन्या/लड़के से विवाह करना व अन्य सामाजिक बंधनों को तोड़ने हेतु दिया जाता है।

(स) अर्थदण्ड एवं बहिष्कार –

कभी–कभी जाति पंचायत द्वारा बडे सामाजिक अपराध जैसे अर्न्तजातीय विवाह, पूर्व घोषित क्षतिपूर्ति आदेश का उल्लंघन, आदि परिस्थिति में दोनो ही प्रकार के दण्ड निर्धारित किये जा सकते है।

दण्ड का परिपालन –

खड़िया जाति पंचायत में दोषी व्यक्ति को सुनाये गये दण्ड का पालन उसे प्रत्येक स्थिति में करना है। वह अर्थ दण्ड की राशि अधिक होने पर उसे कम करने निवेदन जाति पंचायत में कर सकता है, दण्ड राशि कम न होने पर उसे समय की मोहलत व सुविधानुसार धीरे–धीरे देने को भी कहा जाता है।

यदि समजातीय वर्ग में गर्भधारण का मामला आता है तो प्रांरभ में लड़की को उसके परिवार सहित बहिष्कृत किया जाता है तत्पश्चात् लड़के का पता लगाकर अर्थदण्ड लेकर सहमति से विवाह करा दिया जाता है।

यदि विजातीय वर्ग में गर्भधारण का मामला हो और लड़का दूसरे जाति का हो तो उस लड़की को पूर्णकालीक समाज से बहिष्कृत किया जाता है।

यदि समाज का व्यक्ति दूसरे जाति में विवाह करता है, तो उसे दोनो प्रकार के दण्ड से दण्डित किया जाता है, तथा वह अर्थदण्ड का भुगतान कर समाज को भोज देकर पुनः सामाजिक सदस्यता प्राप्त करता है। यदि लड़की निम्न जाति वर्ग से है तो लडके को समाज से बहिष्कृत किया जाता है, अर्थदण्ड व भोज लेकर उसे सदस्यता पुनः प्रदान की जाती है, उसकी पत्नी को समाज स्वीकृत नही करता किंतु यदि उनके बच्चें होते है तो उसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर अपनी जाति में शामिल करता है।

दूध खड़िया जनजाति में दूसरी जाति में विवाह करने पर उस परिवार को अर्थदण्ड से दण्डित व समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, प्रायश्चित हेतु उसे निर्धारित अर्थदण्ड न्यूनतम 1000/– देना होता है, तथा भोज का आयोजन करता है, डोकलो प्रमुख उसके सदस्य व सामाजिक लोग आमंत्रित होते है।

भोज में एक सफेद बकरा काटा जाता है, जिसके रक्त को छिड़ककर उस परिवार के सदस्यों का शुद्धिकरण किया जाता है एवं भोजन तैयार किया जाता है, तथा डोकलों प्रमुख स्वयं पंचायत के 9 सदस्यों (पृथक–पृथक गोत्र के 1–1 सदस्य) व अपने लिये पत्तल सजाकर भोजन वितरित करता है, प्रत्येक पत्तल के नीचे 10 रू. नगद राशि (9 पत्तल) रखी जाती है, इसके पश्चात् ग्राम देव पूर्वजदेव के समक्ष गलती की माफी देने की याचना कर धूप, नारियल भेंट कर भोजन व हड़िया का भोग चढ़ाया जाता है तथा सोहोर व अन्य 9 सदस्य हड़िया पीकर भोज ग्रहण करते है, इसके पश्चात् अन्य लोग भोजन ग्रहण करते है, इस दिन से भोज वाला व्यक्ति सामाजिक सदस्यता पुनः प्राप्त कर लेता है।

उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि दण्ड के स्वरूप व इनकी अर्थव्यवस्था सामाजिक सदस्यों को सामाजिक नियमों–निषेधों का परिपालन इनमें स्थापित न्याय व्यवस्था या जाति पंचायत के माध्यम से कराती है।

4.5 प्रथागत कानून में परिवर्तन –

खड़िया जनजाति में जो प्रथागत कानून लागू है वही प्रथागत कानून वर्तमान में प्रचलित है, उनमें आंशिक संशोधन की गई है, जिसके अन्तर्गत महिलाओं की भागीदारी भी

सुनिश्चित की गई है। वर्तमान में आर्थिक दण्ड में आंशिक वृद्धि की गई है। वर्तमान में मोबाईल के प्रयोग एवं सुख सुविधा बढ़ने के कारण खड़िया जनजाति के प्रथागत कानून में परिवर्तन आ रहा है, साथ ही साथ सामाजिक बैठक में हुए निर्णय से असंतुष्ट होने पर प्रार्थी न्यायालय की शरण में जाता है।

5. वाद इतिहास :–

खड़िया जनजाति में वाद विवाद की स्थिति में बैठक आयोजित कर समाज के सभी पदाधिकारियों के समक्ष दोनो पक्षों को बुलाकर बयान लिया जाता है। बयान के दौरान कई बार वाद–विवाद की स्थिति निर्मित होने पर उनके समक्ष सही निर्णय लेना संभव नही हो पाता। इस स्थिति में समस्त पदाधिकारी आपस में विचार विमर्श कर सही निर्णय सभा के बीच में सुनाकर वाद–विवाद को समाप्त करते है।

खड़िया जनजाति में वाद प्रकरण निम्न प्रकार के होते है :–

(1) वाद का प्रकार – खड़िया समाज के लड़की द्वारा अन्य समाज के लड़के से विवाह करना।

(अ) वाद (केस) –ज्योति खड़िया (काल्पनिक नाम) के द्वारा अन्य (यादव) जाति के लड़के से विवाह करना

सजा – खड़िया समाज से पूर्णतः बहिष्कृत करना एवं किसी प्रकार से संबंध नही रखना।

(2) वाद का प्रकार – खड़िया समाज के लड़के द्वारा अपने ही समाज के लड़की से प्रेम विवाह करना।

(अ) वाद (केस) – रमेश खड़िया (काल्पनिक नाम) के द्वारा अपने ही समाज की लड़की को भगाकर प्रेम विवाह कर लेता है।

जाति पंचायत का निर्णय – समाज उन्हे कुछ समय के लिए समाज से बहिस्कृत कर देता है, इसके पश्चात् उनकी आर्थिक स्थिति अनुसार (रूपयें 5000 से 10000 तक) हर्जाना लगाती है एवं सामाजिक भोज के बाद उन्हे समाज में पुनः शामिल कर लिया जाता है।

(3) वाद का प्रकार – गौ हत्या करने पर अथवा भूलवश हो जाने पर।

(अ) वाद (केस) – ग्राम बरमकेला निवासी संतोष खड़िया ने अपने खेत की सब्जी भाजी खाने पर गाय को इतना पीटा की उसकी मृत्यु हो गयी।

सजा – समाज के बहिस्कृत एवं शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूर्ण करना।

जाति पंचायत का निर्णय – जाति पंचायत के अनुसार गौ हत्या पाप है। शुद्धिकरण हेतु पंचामृत बनाकर संतोष खड़िया को शुद्ध किया गया एवं सामाजिक भोज देकर उसे समाज कोष में 50 से 100 रूपये जमा करना पड़ा।

6. जाति पंचायत संगठन की नियमावली या वर्तमान स्वरूप :–

खड़िया जनजाति द्वारा खड़िया समाज संगठन का गठन किया गया है, इसमें कुल 15 सदस्य पदस्थ है, जिसमें 02 महिला सदस्य भी शामिल है। सदस्यों के नाम इस प्रकार है :–

क्र.	नाम/पिता/पति का नाम	पता
1	श्री विद्यासागर बाज, पिता श्री दोसो राम	म.नं. 29, वार्ड नं. 47, विजयपुर, महर्षि स्कूल के पास, बोईरदादर, तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)
2	श्री मदन राम नायक, पिता श्री धनीराम नायक	म.नं. 156, जोरण्डा झरिया, तहसील–जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)
3	श्री कन्हैया लाल खरिया, पिता श्री रेवाराम खरिया	म.नं. 1087, कबीर चौक, नया काशी नगर, तहसील–कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)
4	श्री कंशराम प्रजा, पिता श्री अनंतराम प्रजा	आदिवासी पारा, वार्ड नं. 01, लमडांउ, पोस्ट–तोलगे, टोलगे, तहसील–रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
5	श्री सुखदेव राम, पिता श्री मधीम राम	म.नं. 8, वार्ड नं. 18 नयी सिंचाई कॉलोनी, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा
6	श्री ब्रतराम प्रधान, पिता श्री शंकर राम प्रधान	म.नं. 143 कोनपारा, तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग.)
7	श्री भोग सिंह मांझी पिता श्री शोभा राम मांझी	म.नं. 1137, वार्ड नं. 27, पहाड़ मंदिर, कौहाकुंडा, तहसील रायगढ़, जिला रायगढ़
8	श्री गुलेश्वर राम डनसेना, पिता श्री कुहरू राम डनसेना	म.नं. 12 कोरंगा मॉल, अंकिरा, कुनकुरी, तहसील जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)
9	कुमारी पुनीमती, पिता श्री मगन लाल खड़िया	बान्धापाली, बंधपली, छाल, तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़
10	श्री शांतिलाल खड़िया, पिता श्री सेल्हू खड़िया	मं.न. 31, वार्ड नं. 10, पोस्ट–घोंच, सरैपाली, तहसील पिथौरा, जिला महासमुंद
11	श्री देवशंकर सिदार पिता श्री सीताराम सिदार	म.नं. 18, वार्ड नं. 12, मुख्य बस्ती, पोस्ट उसरौट, बनहर, तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़
12	श्री कलपराम खड़िया पिता श्री सुकरू खड़िया	म.नं. 30/1, वार्ड नं. 03, सतनामी मोहल्ला, जलगढ़ तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़
13	श्री देवनारायण सोरेंग, पिता श्री सुखदेव सोरेंग	मं.न. 126 जुनाहीह, जामगांव, तहसील रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
14	श्रीमती चम्पावती खड़िया, पति श्री मनोज कुमार खड़िया	म.नं. 211, आंगन, ग्राम कछार, तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)
15	श्री हेमकुमार पिता श्री सेलऊ राम खड़िया	वार्ड नं. 04 ग्राम गोलाझर, चन्दन, तहसील कसडोल जिला बलौदा बाजार (छ.ग.)

खड़िया समाज संगठन छत्तीसगढ़

संस्था / समिति का नाम- खड़िया समाज उत्थान समिति (छ.ग.)

क्र.	सदस्यों के नाम	पिता / पति का नाम	व्यवसाय	मोबाइल नंबर
1	श्री विकासागर बाज	श्री दोरो राम	नौकरी	9826519886
2	" मदन राम नायक	" धनीराम नायक	नौकरी	9691182736
3	" कन्हैया राम खड़िया	" रेनाराम खड़िया	मजदूरी	6267067038
4	" केसराम प्रजा	" अनंतराम प्रजा	मजदूरी	7049269106
5	" सुखदेव राम	" अशीम राम	नौकरी	7974702242
6	" बुधराम प्रधान	" शंकर राम प्रधान	नौकरी	9575790249
7	" भोगसिंह मांझी	" शोभाराम मांझी	नौकरी	9770564717
8	" फुलेश्वर राम डनसेना	" कुरूराम डनसेना	नौकरी	7697848537
9	कु. फुलमती खड़िया	" मगन लाल खड़िया	नौकरी	9617455119
10	श्री शांतिलाल खड़िया	" सेल्हू खड़िया	मजदूरी	8103268386
11	" रत्नाकर सिदार	" सीताराम सिदार	मजदूरी	8319611792
12	" कलपराम खड़िया	" सुकू खड़िया	नौकरी	9752382363
13	श्री देवनारायण सोरेन	" सुरनदेव सोरेन	नौकरी	[illegible]
14	श्रीमती चम्पावती खड़िया	" मनोज कुमार खड़िया	नौकरी	8964884060
15	श्री हेम कुमार खड़िया	" सेलऊ राम खड़िया	मजदूरी	7746099651

क्र.	साक्षी का नाम	पिता / पति का नाम	साक्षी का पता	मोबाइल नंबर
1	श्री पदुमलाल परजा	स्व. श्री [illegible]राम परजा	नगर निगम [illegible] बिलासपुर वार्ड क्र. 47	9752728444

खड़िया समाज उत्थान समिति के सदस्यों के फोटोग्राफ्स

नियमावली

(पृष्ठ–1)

नियमावली

1. संस्था का नाम - खड़िया समाज उत्थान समिति छत्तीसगढ़ होगा ।
2. संस्था का कार्यालय - द्वारा- श्री विद्यासागर बाज, म.न.- 29, वार्ड न.- 47,विजयपुर, महर्षि स्कूल के पास, बोईरदादर, तहसील- रायगढ़,जिला- रायगढ़ (छ.ग.)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ होगा।
4. संस्था का उद्देश्य - (जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वही लिखें)

1. सामाजिक कुरीतियों को दुर करने का प्रयास करना, सामूहिक विवाह का आयोजन करना, बाल विवाह प्रथा को रोकने हेतु पहल करना, बाल संस्कार आदि विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करना, विभिन्न प्रकार के सामाजिक बुराइयों को रोकने का प्रयास करना ।
2. समाज के बच्चों के मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास हेतु खेलकूद, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, विभिन्न संस्कृति एवं संगीत प्रतियोगिता का आयोजन करना ।
3. समाज के निचले स्तर के परिवार को सामाजिक एव मानसिक सहयोग प्रदान कर जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना ।
4. समाज एवं जनता में शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालयों तथा संगीत विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना ।
5. सामाजिक गतिविधियों का सफल संचालन करना व सांस्कृतिक, सामाजिक एवं छात्रावास का संचालन करना ।
6. सामाजिक एकरूपता बनाने हेतु पारिवारिक मतभेद दूर करने का प्रयास करना, समस्याओं का निराकरण हेतु समाज के वरिष्ठ एवं बुजुर्गों के साथ मिलकर, बैठक लेकर, आपसी चर्चा कर निर्णय करना एवं सुझाव देना, जिससे व्यक्ति समाज हित में कार्य करने को प्रोत्साहित रहे, साथ ही समाज के वयोवृद्ध व्यक्तियों हेतु सम्मान सभा का आयोजन करना ।
7. शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी समाज में प्रसारित करते हुए योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलाने का प्रयास करना एवं योजनाओं हेतु आवश्यक दस्तावेज की जानकारी एवं संकलन में भी सभी को सहयोग प्रदान करना ।
8. उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए आवश्यक एवं सम्बंधित कार्य करना, उपर्युक्त संगठन के समस्त कार्यों को सम्पादित करना ।
9. समाज के सदस्यों में एकता की भावना जागृत कर समाज के परम्पराओं एवं रीति रिवाजों का प्रचार-प्रसार करना तथा समाज के नवयुवकों को संगठित करना ।
10. समाज में समय-समय पर धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
11. समाज के लोगों को शिक्षित करना तथा उच्च शिक्षा हेतु उचित प्रयास करना समाज के प्रतिभावान एवं होनहार छात्र-छात्राओं के साथ-साथ समाज के गणमान्य नागरिकों को सम्मानित करना तथा समय-समय पर व्याख्यान, कार्यशाला का आयोजन कर समाज के उन्नति हेतु उचित प्रयास करना ।

12. समाज में विवाह योग्य युवक-युवतियों के परिचय सम्मलेन व सामूहिक विवाह का आयोजन करना ।
13. समाज के कमजोर, विकलांग, अंध, मूक बधिर लोगों की सहायता करना, प्राकृतिक आपदाओं में सेवा कार्य संचालित करना ।
14. समाज में फैली व्याप्त कुरीतियाँ जैसे अंध विश्वास, दहेज, नशा, छुआछूत आदि बुराइयों को दूर कर लोगों में समन्वयता की भावना जागृत करना ।
15. समाज के उत्थान हेतु सामाजिक भवन, सांस्कृतिक भवन के विकास हेतु विशेष सहयोग एवं प्रयास करना ।
16. समाज के समस्याओं को शासन एवं प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर उसके उचित निराकरण हेतु प्रयास करना ।
17. सम्पूर्ण मानव समाज में स्वावलंबन की भावना जागृत करना । उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयास करना । समाज के कमजोर, विकलांग, पिछड़े एवं गरीब तबके के लोगों के शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना ।

5. **सदस्यता** – संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :-

(अ) <u>संरक्षण सदस्य</u> :- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 5000/- या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तो में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) <u>आजीवन सदस्य</u> :- जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये 1000/- या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 4000/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।

(स) <u>साधारण सदस्य</u> :- जो व्यक्ति 10/- रू. माह रूपये 120/- रू. प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक चंदा नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

(द) <u>सम्मानीय सदस्य</u> :- संस्था की प्रबधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उसको मत देने का अधिकार न होगा ।

6. <u>सदस्यता की प्राप्ति</u> :- संस्था के कार्यक्षेत्र में आने वाला प्रत्येक व्यस्क व्यक्ति समाज का सदस्य होगा किन्तु निमानुसार शुल्क जमा करने पर ही मतदान का आधिकार प्राप्त होगा।

7. <u>सदस्यों की योग्यता</u> :- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

(1) भारतीय नागरिक हो ।
(2) आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
(3) समिति के उद्देश्यों एंव नियमो के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
(4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।
(5) खड़िया समाज का हो ।

8. <u>सदस्यता की समाप्ति</u> :- संस्था की सदस्यता निम्न लिखित स्थिति मे समाप्त हो जायेगी –

(पृष्ठ–3)

(1) चरित्रक दोष होने पर पागल होने पर या मृत्यु हो जाने पर ।
(2) समिति विरोधी कार्य करने एव नियमावली की अवहेलना करने पर ।
(3) संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर ।
(4) त्याग पत्र देने व उसे स्वीकार होने पर ।
(5) कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसकी निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा ।

9. **सदस्यता पंजी :-**

संस्था कार्यालय में सदस्यो की पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे -
(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय.
(2) वह तारीख जिसमें सदस्यो को प्रवेश दिया हो व रसीद नं.
(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त की गई हो.
(4) सदस्यो के हस्ताक्षर.

10. (अ) **साधारण सभा :-** साधारण सभा के नियम 5 में दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह अप्रैल तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यो का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियो का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में पदाधिकारियो का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) **प्रबंधकारिणी सभा :-** प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा । यदि बैठक में कोरम 1/2 सदस्यो की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नही होगी ।

(स) **विशेष :-** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जाएगी विशेष संकल्प पारित हो जाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-**
(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।
(ङ) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
(च) बजट का अनुमोदन करना ।

12. **प्रबन्धकारिणी का गठन :-** ट्रस्टीज यदि हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे । नियम 5 (अ.ब.स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

(पृष्ठ–4)

(1) अध्यक्ष,(2) उपाध्यक्ष,(3) सचिव,(4) कोषाध्यक्ष(5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य – 10

13. <u>प्रबंध समिति का कार्यकाल</u> :– प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14. <u>प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य</u> :–

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए ।

(च) संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नामरहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नही की जाएगी ।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा

15. <u>अध्यक्ष के अधिकार</u> :– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठको का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

16. <u>उपाध्यक्ष के अधिकार</u> : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

17. <u>सचिव (मंत्री) के अधिकार</u>:–

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना ।

(2) समिति की आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 1000/– रूपये व्यय करने का अधिकार होगा ।

18. <u>संयुक्त सचिव के अधिकार</u> : सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

19. <u>कोषाध्यक्ष के अधिकार</u> : समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 2000/– रू. रहेंगे ।

20. <u>बैंक खाता</u> :– संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा ।

(पृष्ठ–5)

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :-** अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जायेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा यथ–नियत शुल्क के साथ भेजेगी।

22. **संशोधन :-** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव यथ–नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी।

23. **विघटन :-** संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा. विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी. उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी.

24. **सम्पत्ति :-** संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी।

25. **बैंक खाता :-** संस्था की समस्त निधि का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट- ऑफिस में खोला जायेगा एवं समय- समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

26. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना:-** संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

27. **विवाद :-** संस्था में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार को विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित समितियों के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

शुल्क 220 चालान क्र. 30 दि. 26/2/2020 द्वारा जमा किया गया है पंजीयन क्र. 122201399 41 दिनांक 21/12/12 द्वारा पंजीकृत संस्था की मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है, जारी होने का दिनांक 04/4/2020

(एन. के. नारनवरे)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

संचालनालय आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

फोन: 0771-2960530

E-mail : trti.cg@nic.in, web. : www.cgtrti.gov.in